

वित्त समिति की 22वीं बैठक की कार्यवृत्त



दिनांक : 25.09.2023	समय : 11:00 बजे	स्थान— रजत जयंती भवन
---------------------	-----------------	----------------------

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट जिला—सतना (म.प्र.) 485334

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रो. भरत मिश्रा — अध्यक्ष
कुलपति
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
2. प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी — सचिव
प्र. कुलसचिव
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
3. श्री आर.के. प्रजापति — सदस्य
संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.)
4. डॉ. सच्चिदानंद ओझा — सदस्य
प्रभारी, लेखा नियंत्रक
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

आमंत्रित सदस्य

1. प्रो. अमरजीत सिंह
अधिष्ठाता
ग्रामीण विकास एवं प्रबन्धन संकाय
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
2. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह
प्र. कय अधिकारी
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
3. डॉ. कमलेश कुमार थापक
निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)
4. डॉ. ललित सिंह
प्र.परीक्षा नियंत्रक
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

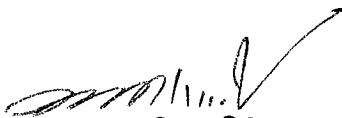
कार्यवृत्त

प्रस्ताव क्रमांक	विवरण	संलग्नक
01.	विषय – 21वीं वित्त समिति बैठक दिनांक 21.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि। निर्णय : 21वीं वित्त समिति बैठक दिनांक 21.04.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	01
02.	विषय :- (अ) विश्वविद्यालय का पुनरीक्षित बजट अनुमान सत्र 2022-23 एवं बजट अनुमान सत्र 2023-24 के प्रस्ताव का अनुमोदन। (ब) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा सत्र 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन। प्रस्ताव :- (अ) (i) वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित बजट में रुपये 3186.70 लाख का अनुमान किया गया है। (लाख में) (i) वेतन भत्ते आदि पर व्यय रुपये 3759.30 (ii) आवर्ती व्यय पर रुपये 224.03 (iii) अनावर्ती व्यय पर रुपये 8.71 (iv) दूरवर्ती व्यय रुपये 355.10 (v) सी.एम.सी.एल.डी.पी. रुपये 39.47 (vi) कम्युनिटी कॉलेज रुपये 0.77 उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार है – (i) म.प्र.शासन से प्राप्त अनुदान रुपये 400.00 (ii) शुल्क आय – Regular रुपये 735.00 (iii) शुल्क आय – Distance रुपये 1480.00 (iv) शुल्क आय – CMCLDP रुपये 540.00 (v) शुल्क आय – Community College रुपये 2.70 (vi) Other रुपये 29.00 (A) (ii) 2023-24 का अनुमान व्यय रुपये 4730.00 लाख का किया गया है। जिसमें मुख्यतः वेतन एवं भत्तों में व्यय 10 प्रतिशत की वृद्धि मानकर की गई है। (A) (i) एवं (ii) प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	02 (अ) 02 (ब)

	(B) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा 2021-22 संलग्न है। संलग्नक का अवलोकन कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। निर्णय : (A) एवं (B) के प्रस्तावों का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल की ओर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
03.	विषय :- विश्वविद्यालय का वाहन (Scorpio Make) पर मरम्मत व्यय अधिक होने के कारण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। प्रस्ताव : MP19 CA 6395 Scorpio वाहन के मरम्मत व्यय रुपये 98,000=00 समायोजन के संबंध में। विश्वविद्यालय का वाहन क्रमांक MP19 CA 6395 Scorpio वाहन के मरम्मत हेतु रुपये 98,000=00 के दिनांक 24.02.2023 अग्रिम दिया गया था, इसमें यह Condition पूर्व से दी गई थी कि अधिक व्यय होने के कारण आगामी वित्त समिति में स्वीकृति प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अब वाहन मरम्मत हो चुका है तथा इसमें कुल व्यय रुपये 97,155=00 आया है। अतः उक्त व्यय रुपये 97,155=00 अग्रिम रुपये 98,000=00 के विरुद्ध समायोजन हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत। निर्णय : प्रस्ताव स्वीकृत।	03
04.	विषय :- डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर का राज्य के बाहर कराए गए बीमारी का उपचार पर हुए व्यय का भुगतान रुपये 4,00,000=00 प्रस्ताव :- डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर का राज्य के बाहर कराए गए बीमारी का उपचार पर हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित संभागीय समिति, शासकीय मेडिकल कॉलेज, रीवा के द्वारा परीक्षण उपरान्त व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 4,00,000=00 मात्र की अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के तारतम्य में रुपये 4,00,000=00 का भुगतान दिनांक 12.01.2023 को चेक क्रमांक 517120 द्वारा किया गया था। उक्त भुगतान की समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। निर्णय : प्रस्ताव स्वीकृत।	04
05.	विषय :- विश्वविद्यालय की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दिनांक 08.06.2023 को निम्न प्रस्ताव पर विचार हुआ - विश्वविद्यालय के खाली भवनों का बाह्य एवं आंतरिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाना। प्रस्ताव :- विश्वविद्यालय के खाली भवनों को (विश्वविद्यालय के अतिरिक्त)	05

	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराया जाना – विश्वविद्यालय के कृषि फार्म स्थित कई भवन जैसे ATIC Building, Facilitation Centre इत्यादि अन्य भवन जो रिक्त पड़े हैं का सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों के उपयोग हेतु दिए जाने हेतु निर्णय लिया है। उक्त भवन के गतिविधियों के उपयोग से होने वाली आय से उनके मरम्मत, रखरखाव एवं बेहतर उपयोगिता बनी रहेगी। खुली निविदा प्रक्रिया अपना कर इस प्रक्रिया को प्रारम्भ/अपनाया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। निर्णय : प्रस्ताव स्वीकृत।	
6.	विषय : विश्वविद्यालय के दूरवर्ती कार्यक्रम एवं सी.एम.सी.एल.डी.पी. कार्यक्रम हेतु एक-एक नये चार पहिया वाहन (इनोवा/एस.यू.व्ही. या अन्य इनके समकक्ष वाहन) का कय हेतु प्रस्ताव। प्रस्ताव :- विश्वविद्यालय के दूरवर्ती निदेशालय एवं सी.एम.सी.एल.डी.पी. द्वारा काफी समय से एक-एक नए चार पहिया वाहन (इनोवा/एस.यू.व्ही. या अन्य इनके समकक्ष वाहन) की मांग की जाती रही है। इन दोनों कार्यक्रमों का विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश है। उक्त से संबंधित प्रस्ताव पूर्व में 53वीं प्रबन्ध मण्डल दिनांक 26.04.2018 के बिन्दु क्रमांक 53.10 पर अनुमोदन किया गया था। साथ ही विस्तार समिति की 16वीं बैठक दिनांक 21.12.2018 के बिन्दु क्रमांक 06 में अनुशंसित किया जा चुका है। अतः उक्त कार्यक्रमों की आवश्यकता एवं कार्य क्षेत्र की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए नए वाहनों का कय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। निर्णय : प्रस्ताव स्वीकृत।	06
7.	मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर विचार— 1. विषय : दिनांक 20.09.2023 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक में लिए गये पाठ्यक्रम संचालन संबंधी पारिश्रमिक दरों में संशोधन की अनुशंसा गठित समिति द्वारा की गई है। प्रस्ताव : विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20.09.2023 के अनुक्रम में 21.09.2023 को दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र, सी.एम.सी.एल.डी.पी. तथा नियमित पाठ्यक्रम के गठित समिति प्रतिनिधि की बैठक में निम्न पारिश्रमिक दरें आदेश निर्गमन के तिथि से प्रभावी होने की अनुशंसा की है। उक्त प्रस्ताव वित्त समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	07अ

	2. विषय : कय विभाग द्वारा अद्यतन किए गए कार्यों की कार्यवाही एवं सूचना को वित्त समिति के समक्ष रखने हेतु। प्रस्ताव : कय विभाग द्वारा निम्न चार बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए वित्त समिति के समक्ष रखा गया है। 1. विश्वविद्यालय में कय की गई सामग्री की सूची। 2. अपलेखित सामग्री की सूची। 3. भण्डार हानि की सूची। 4. भण्डार कय नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के क्रियान्वयन की सूचना। निर्णय : 1. प्रस्ताव स्वीकृत। 2. सूचना ग्रहण की गई।	07ब
--	--	-----



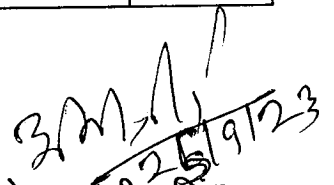
डॉ. ललित सिंह
प्र.परीक्षा नियंत्रक
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)



डॉ. कमलेश कुमार थापक
निदेशक, दू.शि.संस्थान
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)



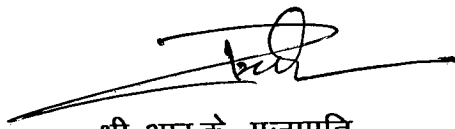
डॉ. धर्मेन्द्र सिंह
प्र. कय अधिकारी
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)



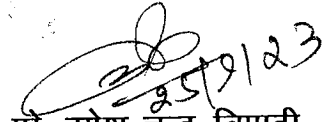
प्रो. अमरजीत सिंह
निदेशक
सी.एम.सी.एल.डी.पी.
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)



डॉ. सच्चिदानंद ओझा
सदस्य
प्रभारी, लेखा नियंत्रक
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट,
सतना (म.प्र.)



श्री आर.के. प्रजापति
सदस्य
संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा, रीवा संभाग,
रीवा (म.प्र.)



प्रो. रमेश चन्द्र त्रिपाठी
सचिव
प्र. कुलसचिव
म.गां.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट,
सतना (म.प्र.)



प्रो. भरत मिश्रा
अध्यक्ष
कुलपति, म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)